बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड

पशु आहार संयंत्र सिरोंजा जिला सागर

दो वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
दर ई–निविदा

दिनांक

07-06-2018

(इकाई– बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड)

सिरोंजा सागर दूरभाष क्र0 07582–272168

E- Mail : cfpsagar@gmail.com

बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

—: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :—

सुदाना परिवहन

S.No.	Process Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date	17.05.18/ 17.30
2	Purchase of Tender End Date	06.06.18/ 12.00
3	Bid Submission End Date	06.06.18/ 17.30
4	Mandatory Submission Open Date (EMD)	07.06.18/ 10.00
5	Financial Bid Open Date	07.06.18/ 10.01

निविदा खोलने का स्थान :— बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., बुदेंलखण्ड (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र की कीमत :— रूपये 500/— (रूपये पॉच सौ मात्र) क्रेडिटकार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिग द्वारा क्रय किये जावे जो वापसी योग्य नहीं।

अमानत राशि :— रूपये 10000/— (रूपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** को देय हो एवं स्केन कर आनलाईन निविदा में अपलोड करना होगा। एवं मूल बैंक ड्राफ्ट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें।

प्रतिभूति राशि :— रूपये 300000/—(रूपये तीन लाख मात्र) अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट :— शर्त क्र0 10 अनुसार मांगे गये दस्तावेज निविदा दिनांक को बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करें।

प्रभारी महाप्रबंधक

बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

—: पशु आहार परिवहन की शर्ते :—

1. पशु आहार, सुदाना परिवहन निविदा की दरें ई—निविदा के माध्यम से आनलाईन स्वीकार होगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार सयंत्रं सिरोंजा सागर से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंकों के साथ—साथ शब्दों में भी प्रस्तुत की जावे।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें ''रूपया प्रति मै.टन''(One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।
4. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार सयंत्रं सिरोंजा सागर के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता हैं, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेगें ।
5. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रो/सयत्रो पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार सयंत्रं पचामा एवं पशु आहार सयंत्रं सिरोंजा सागर के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रुप से प्राप्त करना होगा निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लिप (विल्टी) जिस पर गंतव्य स्थान गाडी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टि करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लिप लेकर एवं स्लिप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खडा नही किया जावेगा। यदि गाडी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते है तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं आर्थिक दण्ड तथा परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नही करेगा।
7. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नही होते है तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता पर रु0 1000/— (रु0 एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।
8. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संकलन वाहनों को दुग्ध संस्था तक पहुचने में लगता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी ।

9. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में

खराबी का कारण वाहन का स्थान जहॉ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।

10. परिवहनकर्ता के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है एंव निविदाकर्ता के पास स्वयं के तीन वाहन (ट्रक) होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता उक्त दस्तावेज बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक को समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें।

11. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।

12. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबावदारी परिवहनकर्ता की होगी इस हेतु संघ/दुग्ध समिति/प्रभारी दुग्धशीत केन्द्र द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

13. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा । कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रूपये 1000/—(रूपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।

14. परिवहन के दौरान मार्ग में सुदाना, सुपर में किसी भी प्रकार की टूट—फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।

15. यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

16. दुग्ध शीत केन्द्रों/संयत्रो से सुदाना की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवृहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य सुदाना सुपर की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।

17. परिवहन कर्ता 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र सिरौजा सागर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे । जिसका भुगतान कार्यालयीन ओपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात प्रति माह कार्यालयीन दिवस में शासन के आदेशानुसार समस्त करो का कटौत्रा कर किया जावेगा।

18. अनुबंध की अवधि सामान्यतः दो वर्ष की होगी तदापि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड द्वारा उन्हीं दरों एवं शर्तो पर दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।

19. उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना के उपरांत यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

20. पशु आहार सयंत्रं गोदाम से वाहन तक पशु आहार लाने की व्यवस्था संयंत्र स्तर से की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय का वहन परिवहनकर्ता द्वारा संघ की अनुमोदित दर के आधार पर किया जावेगा। इसके पश्चात् वाहन लोडिंग कर, निर्धारित स्थान पर अनलोडिंग कर गोदाम में निर्धारित स्थान पर जमाने की व्यवस्था परिवहनकर्ता द्वारा की जावेगी तथा इसका व्यय भी परिवहनकर्ता द्वारा ही वहन किया जावेगा। इसका किसी भी दशा में भुगतान संघ/बी.एम.सी./समिति द्वारा नहीं किया नहीं जावेगा।

21. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जायेगी ।

22. निविदाकार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों/दुग्ध समिति कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए।

23. दोनों पक्षकारों के बीच हुए ठेके के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण अध्यक्ष, बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी तथा मान्य होगा।

24. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तो का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

25. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये 10000/– (रूपये दस हजार मात्र) **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

26. निविदा अस्वीकृत होने पर अर्नेस्ट मनी की वापसी का आवेदन जमा रसीद की मूलप्रति के साथ प्राप्त होने पर 30 दिनों पश्चात वापस की जा सकेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

27. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को संलग्न शर्तों के तहत अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसमें प्रतिभूति राशि रूपये 300000/–होगी। जिसमें से रूपये 10000/– अमानत राशि समायोजित कर शेष रूपये 290000/– संस्था में डीडी द्वारा जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। पूर्व में या जिन ठेकेदारों द्वारा दुग्ध शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर सुदाना परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उन्है अलग से दोबारा अमानत राशि जमा करनी होगी, पूर्व की राशि किसी भी दशा में समायोजित नही की जावेगी

28. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्ते लगाई जाती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।

29. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्तार नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म ''भारतीय भागीदार अधिनियम'' के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।

30. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

31. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रु0 लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01	ट्रक,	04 कि.मी

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्टस, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

32. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।

33. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा । निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर परिवहनकर्ता के देयको से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधारपर कटौत्रा किया जावेगा।

34. परिवहनकर्ता के देयको से शासन के नियमानुसार आयकर, सर्विस एवं स्वच्छता कर तथा समय–समय पर लगने वाले अन्य करों आदि का कटौत्रा किया जावेगा।

35. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के टैक्टर–ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।

36. सुदाना भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौल कांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में बिलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगें।

37. उपरोक्त वर्णित शर्तो का पालन नही किया जाता है तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तो का पालन नही करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता को काली सूची में सूचीवद्ध किया जावेगा।

38. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा जिस हेतु परिवहनकर्ता जबावदार होगा।

39. समस्त अदालती विवाद सागर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे ।

40. परिवहनकर्ता द्वारा GST रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुदेंलखण्ड सह. दुग्ध संघ मर्या. बुदेंलखण्ड

बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

इकाईः बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा (सागर) से विभिन्न स्थानों पर पशु आहार भेजे जाने के लिये निविदाकार द्वारा दो वर्ष के परिवहन के लिए भरी जाने वाली दरें (रूपये प्रति मैट्रिक टन) इस प्रपत्र में दी जाना है।

दुग्ध शीत केन्द्रों/बी.एम.सी. की सूची			
क्र.	गन्तव्य स्थानों का नाम	(कि.मी.) अनुमानित दूरी	दर (रूपये प्रति मैट्रिक टन)
1	मकरोनिया	12	
2	नई गल्ला मंडी सागर	35	
3	मेहगांव	380	
4	गैरतगंज	95	
5	राजनगर	200	
6	नरसिंहगढ़	280	
7	बानमोर	340	
8	दतिया	235	
9	लटेरी	140	
10	हरदा	340	
11	बेतूल	400	
12	राहतगढ़	55	
13	सौहागपुर	200	
14	पन्ना	235	
15	रगौली	36	
16	किशनपुरा	37	
17	चौरई	35	
18	भड़राना	45	
19	कनेरानीखर	55	
20	पचमा गंजवासौदा	130	
21	कीरतपुर	220	
22	टीकमगढ़	134	

23	जतारा	173	
24	छत्तरपुर	164	
25	अजयगढ़	264	
26	हृदयपुर	80	
27	हटा	135	
28	सिलवानी (रायसेन)	130	
29	वरेली (रायसेन)	130	
30	ग्यारसपुर (रायसेन)	90	
31	विदिशा	111	
32	करहद	70	
33	रुरावन	50	
34	श्योपुर	405	
35	दबोह	360	
36	रीवा	320	
37	गुना	230	
38	मुलताई	450	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

बुदेंलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुदेंलखण्ड

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

अनुलग्नक – द.

पशु आहार संयंत्र पचामा एवं पशु आहार संयंत्र सिरोंजा सागर/दुग्ध समितियों एवं शासकीय संस्थाओं हेतु सुदाना परिवहन की दरें परिवहनकर्ता द्वारा पृष्ठ क्रमांक 7 मे दी जाना है

हमें/मुझे निविदा (टेण्डर) एवं इकरार नामें की पूर्ण शर्ते मान्य हैं। उपरोक्त भाव पर हम/मैं ठेका लेने को तैयार हूं। ये भाव पशु आहार संयंत्र सिरोंजा (सागर) से उपरोक्त दर्शायें गये स्थानों तक के लिये प्रति मैट्रिक टन के आधार पर दिये गये है।

हस्ताक्षर ——————————————————

नाम ——————————————————

——————————————————

पता ——————————————————